भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1694
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई का संवर्धन करने के लिए योजनाएं

1694. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में विशेष रूप से वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के संवर्धन और विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए फलों के गूदे के भंडारण और पैकेजिंग उद्योगों की स्थापना के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग) : तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय क्षेत्र सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफ़एमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं। मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार फलों के गूदे, एकीकृत कोल्ड चेन आदि सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 31 अक्टूबर , 2024 तक तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई की तद्नुरूपी घटक योजनाओं के तहत 1 मेगा फूड पार्क, 23 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 12 कृषि प्रसंस्करण कलस्टर, 35 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 9 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन परियोजनाएं और 4 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाएं मंजूर की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक चालू है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु में 31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमएफएमई के तहत क्रेडिट लिंक्ड सहायता के लिए कुल 13,520 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है, जिसमें वेल्लोर जिले में 187 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शामिल हैं। इसके अलावा, वेल्लोर जिले में 959 एसएचजी सदस्यों के लिए 3.7 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूँजी सहायता मंजूर की गई है। पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक तमिलनाडु में 447.27 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 20 स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई है।

*****